



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या 22/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:26.02.2015/2014

दिनांक: 27/02/2015

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में यथाप्रभावी "उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970" तथा "उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् सहायक अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली-1970" के प्राविधानों को निम्नवत् संशोधित किये जाने की स्वीकृति निदेशक मण्डल द्वारा प्रदान की जाती है:-

- (अ) "उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970" (यथासंशोधित आदेश संख्या: 171/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:161-11/2014, दिनांक 31-10-2014) के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-1 में अंकित प्राविधानों को उसके सम्मुख स्तम्भ-2 में अंकित प्राविधानों से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

वर्तमान प्राविधान	प्रतिस्थापित प्राविधान
<u>विनियम-5 (भर्ती का स्रोत)</u>	<u>विनियम-5 (भर्ती का स्रोत)</u>
(1) सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित रहेंगे तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग-अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होंगे उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी :-	(1) यथावत्।
(क) प्रशिक्षित अभियन्ताओं में से सीधी भर्ती हेतु 50.33 प्रतिशत।	(क) यथावत्।
(ख) स्थायी एवं अर्ह अवर अभियन्ताओं से प्रोन्नति द्वारा परिशिष्ट "ग" में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु-----40 प्रतिशत।	(ख) यथावत्।
(ग) स्थायी एवं अर्ह संगणकों (विद्युत एवं यांत्रिक) से परिशिष्ट "ग" में विहित रीति के अनुसार पदोन्नति हेतु-----1.33 प्रतिशत।	(ग) यथावत्।
(घ) ऐसे अवर अभियन्ताओं/संगणकों में से पदोन्नति हेतु जो पद पर स्थायी हों एवं जिन्होंने निगमादेश सं०:88/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम/08/अभियन्ता सेवा दिनांक अक्टूबर 01, 2008 (समय-समय पर	(घ) ऐसे अवर अभियन्ताओं/संगणकों में से पदोन्नति हेतु जो पद पर स्थायी हों एवं जिन्होंने निगमादेश सं०:88/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम/08/अभियन्ता सेवा दिनांक अक्टूबर 01, 2008 (समय-समय पर

<p>यथा संशोधित) के अनुसार बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त कर ली हो तथा अवर अभियन्ता पद पर नियमित सेवा के 08 वर्ष पूरे कर लिये हों-----8.33 प्रतिशत।</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त (घ) के विरुद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या, अवर अभियन्ताओं व संगणकों में से बाँटी जायेगी, जो उपरोक्त (ख) एवं (ग) में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी।</p> <p>परन्तु यदि उपरोक्त (ग) एवं (घ) के विरुद्ध उल्लिखित अर्हता रखने वाला कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो यह पद भी (ख) में उल्लिखित स्रोत से भरे जायेंगे :-</p> <p>परन्तु यह और कि यदि कोटा के अनुसार उक्त किसी भी स्रोत से भरे जाने वाली रिक्तियों की संख्या भिन्न में हो तो भिन्न के आधे से कम को छोड़ दिया जायेगा और भिन्न के आधे या उससे अधिक को सामान्यतया सम्पूर्ण एक के रूप में गिना जायेगा।</p>	<p>यथा संशोधित) के अनुसार बी0ई0/ए0एम0आई0ई0 की अर्हता प्राप्त कर ली हो तथा अवर अभियन्ता पद पर नियमित सेवा के 06 वर्ष पूरे कर लिये हों-----8.33 प्रतिशत।</p> <p>यथावत्।</p>
--	---

(ब) "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् सहायक अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली-1970" (यथासंशोधित आदेश संख्या: 171/उनिलि/ रिफार्म/विनियम:161-11/2014, दिनांक 31-10-2014) के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-1 में अंकित प्राविधानों को उसके सम्मुख स्तम्भ-2 में अंकित प्राविधानों से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

वर्तमान प्राविधान	प्रतिस्थापित प्राविधान
स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
<p>विनियम-5 (भर्ती का स्रोत)</p> <p>(1) सेवा में भर्ती हेतु सहायक अभियन्ता के कुल स्वीकृत पद निम्नानुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित रहेंगे तथा प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष अलग-अलग की जायेगी तथा जिस वर्ष जिस वर्ग में पद रिक्त होंगे उसी वर्ग में भर्ती/प्रोन्नति की जायेगी :-</p> <p>(i) परिशिष्ट "क" में वर्णित नियम व रीति के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा50.33 प्रतिशत।</p> <p>(ii) परिशिष्ट "ख" में वर्णित नियम व रीति के अनुसार अवर अभियन्ता (सिविल) से पदोन्नति द्वारा40 प्रतिशत।</p> <p>(iii) परिशिष्ट "ख" में वर्णित नियम व रीति के अनुसार स्थाई व अर्हता प्राप्त संगणकों (सिविल) से पदोन्नति द्वारा1.33 प्रतिशत।</p>	<p>विनियम-5 (भर्ती का स्रोत)</p> <p>(1) यथावत्।</p> <p>(i) यथावत्।</p> <p>(ii) यथावत्।</p> <p>(iii) यथावत्।</p>

(iv) ऐसे अवर अभियन्ताओं/संगणकों में से पदोन्नति हेतु जो पद पर स्थाई हों एवं जिन्होंने निगमादेश सं०:89/उनिलि/रिफार्म/विनियम/08/सहायक अभियन्ता (सिविल) सेवा दिनांक अक्टूबर 01, 2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार बी०ई०/ए०एम०आई०ई० की अर्हता प्राप्त कर ली हो तथा अवर अभियन्ता पद पर उन्होंने नियमित सेवा के 08 वर्ष पूरे कर लिये हैं8.33 प्रतिशत।

प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त (iv)के विरुद्ध भरे जाने वाले पदों की संख्या अवर अभियन्ताओं व संगणकों में से बांटी जायेगी जो उपरोक्त (ii) एवं (iii) में वर्णित पदोन्नति के कोटे के अनुपात में होगी।

परन्तु यदि उपरोक्त (iii) एवं (iv) के विरुद्ध उल्लिखित अर्हता रखने वाला कोई व्यक्ति उपलब्ध न हो तो यह पद भी (ii) में उल्लिखित स्रोत से भरे जायेंगे:-

परन्तु यह और कि यदि कोटा के अनुसार उक्त किसी भी स्रोत से भरे जाने वाली रिक्तियों की संख्या भिन्न में हो तो भिन्न के आधे से कम को छोड़ दिया जायेगा और भिन्न के आधे या उससे अधिक को सामान्यतः सम्पूर्ण एक के रूप में गिना जायेगा।

(iv) ऐसे अवर अभियन्ताओं/संगणकों में से पदोन्नति हेतु जो पद पर स्थाई हों एवं जिन्होंने निगमादेश सं०:89/उनिलि/रिफार्म/विनियम/08/सहायक अभियन्ता (सिविल) दिनांक अक्टूबर 01, 2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार बी०ई०/ए०एम०आई०ई० की अर्हता प्राप्त कर ली हो तथा अवर अभियन्ता पद पर उन्होंने नियमित सेवा के 06 वर्ष पूरे कर लिये हैं8.33 प्रतिशत।

यथावत्।

(स) "उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970" (यथासंशोधित आदेश संख्या: 171/उनिलि/रिफार्म/विनियम:161-11/2014, दिनांक 31-10-2014) के विनियम-5 के अन्तर्गत परिशिष्ट 'ग' के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-1 में अंकित प्राविधानों को उसके सम्मुख स्तम्भ-2 में अंकित प्राविधानों से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

वर्तमान प्राविधान	प्रतिस्थापित प्राविधान
विनियम-5 के उप-विनियम-1 के खण्ड (ख) एवं (ग) के अधीन भर्ती के प्रयोजनार्थ चयन, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा :-	विनियम-5 के उप-विनियम-1 के खण्ड (ख) एवं (ग) के अधीन भर्ती के प्रयोजनार्थ चयन, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए वरिष्ठता के आधार पर किया जायेगा :-
(1) विनियम-5 के उप विनियम-1 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत यथा निर्धारित कोटे के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु व्यवस्था निम्नवत् होगी :-	(1) विनियम-5 के उप विनियम-1 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत यथा निर्धारित कोटे के अन्तर्गत प्रोन्नति हेतु व्यवस्था निम्नवत् होगी :-
(अ) दिनांक 31-05-2013 के पूर्व नियुक्त अवर अभियन्ताओं के सम्बन्ध में :-	(अ) दिनांक 31-05-2013 के पूर्व नियुक्त अवर अभियन्ताओं के सम्बन्ध में :-
अवर अभियन्ता सेवा (विद्युत/यांत्रिकी/इलेक्ट्रानिक्स) के सदस्य जो पद पर स्थायी हों, संवर्ग में कम से कम 10	अवर अभियन्ता सेवा (विद्युत/यांत्रिकी/इलेक्ट्रानिक्स) के सदस्य जो पद पर स्थायी हों, संवर्ग में कम से कम 10

<p>वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हों तथा जिन्होंने निगम द्वारा निर्धारित 03 माह का प्रशिक्षण सन्तोषजनक रीति से पूर्ण कर प्रशिक्षण उपरान्त आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।</p>	<p>वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हों तथा जिन्होंने निगम द्वारा निर्धारित दो माह का प्रशिक्षण सन्तोषजनक रीति से पूर्ण कर प्रशिक्षण उपरान्त आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, परन्तु डिप्लोमाधारी अवर अभियन्ताओं को उपरोक्त प्रशिक्षण एवं परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं होगा।</p>
<p>(ब) दिनांक 31-05-2013 को तथा उसके पश्चात् नियुक्त अवर अभियन्ताओं के सम्बन्ध में:- अवर अभियन्ता सेवा (विद्युत/यांत्रिकी/इलेक्ट्रानिक्स) के सदस्य जो पद पर स्थायी हों, संवर्ग में कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हों तथा जिन्होंने निगमादेश सं०: 88/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम/08/अभियन्ता सेवा दिनांक अक्टूबर 01, 2008 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अभियांत्रिकी में डिप्लोमा प्राप्त किया हो।</p>	<p>(ब) यथावत्।</p>
<p>(11) ऐसे संगणक जो पद पर स्थायी हों तथा जिन्होंने अपनी सेवा के कम से कम 10 वर्ष संगणक/प्रारूपकार के रूप में पूरे कर लिये हों तथा निम्न में से कोई अर्हता प्राप्त हो :- (अ) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी विधेयक द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त विद्युत/यांत्रिकी अभियन्त्रण में डिप्लोमा या (ब) राज्य की तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त विद्युत/यांत्रिकी अभियन्त्रण में 03 वर्षों का डिप्लोमा।</p>	<p>(11) यथावत्।</p>

निदेशक मण्डल की आज्ञा से


पत्रांक: 22/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:26.02.2015/2014 तददिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक महोदय के निजी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (कार्मिक/वित्त/तकनीकी/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ, के निजी सचिव।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर-I एवं II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झांसी, कानपुर, अलीगढ़।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर-I एवं II), मा0सं0/पीपीएमएम/वाणिज्य/ईंधन/तापीय परिचालन/आर0एण्ड0एम0/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।



8. महाप्रबन्धक (लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कंपनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. उपमहाप्रबन्धक (मा०सं० 1/2/3/4/5/प्रशिक्षण इकाई/संसदीय कार्य इकाई/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ✓ 12. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी० सी०-46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार विद्यार्थी)
मुख्य अभियन्ता (मा०सं०)